

उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या-क0नि0-2-258/ ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(52)-2009
लखनऊ::दिनांक: 04 नवम्बर, 2009

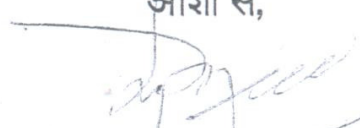
अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची-दो में दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

संशोधन

उक्त अनुसूची-दो में, भाग-ग में, क्रम संख्या 264 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि स्तम्भवार रख दी जायेगी, अर्थात्:-

क्रम सं०	वस्तु का नाम एवं विवरण
1	2
264	बार्ली माल्ट, ईस्ट, जैल (केक इम्प्रूवर), ब्रेड इम्प्रूवर, बेकरी मिक्स एवं बेकिंग पाउडर।

आज्ञा से,

(देश दीपक वर्मा)
प्रमुख सचिव ।